प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) सं.6060/2017

1 – मोहन लाल पटेल पिता स्वर्गीय बिसाहु राम पटेल, 62 वर्ष, निवासी हरि नगर, वार्ड संख्या 59, जय पब्लिक स्कूल निवासी पास, कटुलबोद, दुर्ग छत्तीसगढ़।, छत्तीसगढ़

..... याचिकाकर्ता

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1 – छत्तीसगढ़ राज्य सचिव,के द्वारा गृह विभाग, महानदी भवन, नया मंत्रालय, नया रायपुर छत्तीसगढ़

2–पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, रायपुर छत्तीसगढ़।,जिला :रायपुर, छत्तीसगढ़

3–पुलिस महानिरीक्षक, रेंज दुर्ग, 32 बंगला, भिलाई, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।,जिला :दुर्ग, छत्तीसगढ़

4–पुलिस अधीक्षक,छावनी भिलाई जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ ,जिला :दुर्ग, छत्तीसगढ़

----उत्तरवादीगण

वाद–शीर्षक प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया

याचिकाकर्ता (ओं) हेतु : श्री वरुण शर्मा, अधिवक्ता

उत्तरवादी–राज्य हेतु :श्री पंकज सिंह, पैनल अधिवक्ता

एकल पीठ :.–माननीय श्री संजय के. अग्रवाल,न्यायाधीश

पीठ पर आदेश

28.03.2025

1. इस रिट याचिका में शामिल संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या पुलिस महानिरीक्षक को छत्तीसगढ़ पुलिस विनियमन (संक्षेप में 'विनियम') के विनियमन 214 के साथ विनियमन 223 द्वारा संचयी प्रभाव से एक वेतन वृद्धि रोकने का दंड लगाने का अधिकार है।

2. उपर्युक्त प्रश्न निम्नलिखित तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर विचार हेतु उत्पन्न हुआ है;

2.1.याचिकाकर्ता जब पुलिस थाना कुरुद में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था, तो उसके विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 20.07.2012 (अनुलग्नक पी/9) के तहत नियमित विभागीय कार्यवाही की गई थी। नियमित विभागीय कार्यवाही के बाद अनुशासनात्मक प्राधिकारी (पुलिस महानिरीक्षक) ने भविष्य में मिलने वाले वेतन वृद्धि और पेंशन आदि पर संचयी प्रभाव से एक वेतन वृद्धि रोकने का जुर्माना लगाया गया।' विनियमन 223(सी) के साथ पठित विनियमन 214(ii) के तहत प्रदत्त अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए दिनांक 28.12.2013 के आदेश के तहत, जिसके विरुद्ध याचिकाकर्ता ने पुलिस महानिदेशक के समक्ष अपील की थी, जिसे दिनांक 05.03.2015 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था और उसके बाद विनियमन 270 के तहत अपीलीय आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण पेश किया गया था, पुलिस महानिदेशक द्वारा पारित दिनांक 09.09.2015 के आदेश के तहत इसका भी वही हश्र हुआ है।इस बीच, याचिकाकर्ता वर्ष 2017 में अपनी सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए।इसलिए, यह रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा अनुशासनात्मक प्राधिकरण के आदेश पर प्रश्न उठाते हुए दायर की गई है, जिसमें संचयी प्रभाव के साथ एक वृद्धि को रोकने का जुर्माना लगाया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विनियमन 223(सी) के साथ विनियमन 214(ii) के आधार पर पुलिस महानिरीक्षक को संचयी प्रभाव से एक वेतन वृद्धि रोकने का दंड लगाने का अधिकार नहीं है, इसलिए, आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जा सकता है। अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए उन्होंने एम.एल. पटेल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य 1 के मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश का उल्लेख दिया, जिसमें रिट याचिका (एस) संख्या 37/2012 थी।उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी दिनांक 10.10.2008 के परिपत्र का भी उल्लेख किया।

4. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित आदेश उचित है और भारतीय संविधान की धारा 226 और 227 के तहत इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।अतः, वर्तमान रिट याचिका को समय रहते खारिज किया जाना चाहिए।

5. मैंने दोनों पक्षों को सुना है, अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया है और प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर अत्यंत सावधानी से विचार किया है।

6. यह स्वीकार किया जाता है, इसमें कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता को उसके कदाचार के लिए विभागीय कार्यवाही के अधीन किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप अनुशासनात्मक प्राधिकारी (पुलिस महानिरीक्षक) द्वारा दिनांक 28.12.2013 को पारित आदेश के तहत भविष्य के वेतन वृद्धि और पेंशन आदि पर संचयी प्रभाव के साथ एक वेतन वृद्धि रोके जाने का दंड दिया गया था, जिसमें विनियमन 223(सी) के साथ विनियमन 214(ii) के तहत प्रदत्त अपनी शक्ति का प्रयोग किया गया था, जिसके विरुद्ध याचिकाकर्ता ने अपील की थी, जिसे पुलिस महानिदेशक ने अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए खारिज कर दिया था और उसके बाद अपीलीय आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण पेश किया गया था, जिसे भी खारिज कर दिया गया है।

7. इस स्तर पर, विनियमन के विनियम 223 पर ध्यान देना उचित होगा, जो क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक या पुलिस महानिरीक्षक के पद के समकक्ष किसी भी पुलिस अधिकारी को दंड लगाने की शक्ति प्रदान करता है, जिसके तहत वह निम्नलिखित प्रावधान करता है:---

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"[223.क्षेत्रीय पुलिस निरीक्षक या पुलिस महानिरीक्षक के पद के समकक्ष किसी पुलिस अधिकारी की शक्तियाँ। – क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक या पुलिस महानिरीक्षक के पद के समकक्ष किसी पुलिस अधिकारी को निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करने की शक्तियाँ:---

(क) XXXX

(ख) XXXX

(ग) कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक सभी रैंकों पर विनियम 214 और 215 में निर्दिष्ट किसी भी दंड को लागू करने की शक्ति।]

8. उप–निरीक्षकों और सहायक उप–निरीक्षकों को लगाए जाने वाले दंड को छत्तीसगढ़ पुलिस विनियमन के विनियम 214 में परिभाषित किया गया है, जो निम्नानुसार है:---

"214 दंड के प्रकार– किसी विधि या किसी विशेष आदेश के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अधीनस्थ पुलिस सेवा में पद धारण करने वाले किसी भी सदस्य पर अच्छे और पर्याप्त कारणों से निम्नलिखित दंड लगाया जा सकता है:

- ((i) XXXX

(ii) दक्षता अवरोध या ठहराव भत्ते पर रोक सहित वेतन वृद्धि को रोकना;"

9. छत्तीसगढ़ पुलिस विनियमन के विनियम 214 में विभिन्न छोटे/बड़े दंड निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें किसी भी विधि या किसी विशेष आदेश के प्रावधानों के प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लगाया जा सकता है।

10. उपर्युक्त प्रावधानों के अवलोकन से, विनियमन के विनियमन 223(सी) के आधार पर, पुलिस महानिरीक्षक को कांस्टेबल से लेकर निरीक्षक तक सभी रैंकों पर विनियमन 214 और 215 में निर्दिष्ट किसी भी दंड को लागू करने की शक्ति है। विनियमन का विनियमन 214(ii) पुलिस महानिरीक्षक को दक्षता बार या ठहराव भत्ते पर रोक सहित वेतन वृद्धि रोकने का अधिकार देता है। यद्यपि, उक्त विनियमन का सावधानीपूर्वक अवलोकन करने पर पता चलता है कि पुलिस महानिरीक्षक को संचयी प्रभाव के साथ वेतन वृद्धि रोकने को दंड देने की कोई शक्ति नहीं दी गई है, जो पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी 10.10.2008 (अनुलग्नक पी/4) के ज्ञापन से भी स्पष्ट है, जिसमें निम्नलिखित कहा गया है:

पुलिस मुख्यालय,

छत्तीसगढ़ सिविल लाईन्स, रायपुर 492001

पुलिस निर्देश क 0-04 क्रमांक-पुम/प्रशा/विजांच/1273/08 रायपुर, दिनांक 10/10/2008

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रति,
समस्त पुलिस इकाईयों छत्तीसगढ़

विषय- वेतनवृद्धि संचयी रूप से रोकने का नियम विरूद्ध आदेश जारी न करने बाबत्।

कई प्रकरणों में अनुशासनिक अधिकारियों द्वारा विभागीय जांच में आरोप प्रमाणित पाए जाने पर अपचारी पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध "एक वेतनवृद्धि संचसी रूप से रोकने का दंड" या "एक वेतनवृद्धि एक वर्ष के लिए रोके जाने का दंड जिसका प्रभाव संचयी होगा" अधिरोपित किए गये है, जो नियमानुकूल नहीं है। कृपया इस संबंध में छत्तीसगढ़ पुलिस रेग्यू० के पैरा 214 का अवलोकन हो जिसमें इस प्रकार के दंड का प्रावधान नहीं है। चूँकि पुलिस रेग्यू० के पैरा 221 के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक को इस प्रकार का दंड अधिरोपित करने का अधिकार नहीं है, इस कारण माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा कई बार इस प्रकार के दंडादेश अपास्त किए गए है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी म०प्र० शासन एवं अन्य विरुद्ध राधिका प्रसाद दुबे (दिनांक 25 अप्रैल 1994) में उपरोक्तानुसार दण्डादेश अपास्त किया गया है।

अतः भविष्य में अनुशासनिक अधिकारी उपरोक्त नियमों के अनुरूप कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

सही/-
(विश्वरंजन)
पुलिस महानिदेशक

11. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि पुलिस महानिरीक्षक के पास भविष्य में वेतन वृद्धि और पेंशन आदि पर संचयी प्रभाव के साथ एक वेतन वृद्धि रोकने का दंड लगाने की कोई शक्ति और अधिकारिता नहीं है। तदनुसार, दिनांक 23.12.2013 का आरोपित आदेश (अनुलग्नक पी/1) और साथ ही दिनांक 05.03.2015 का अपीलीय आदेश (अनुलग्नक पी/2) और दिनांक 09.09.2015 का पुनरीक्षण आदेश (अनुलग्नक पी/12) अपास्त किए जाने योग्य हैं तदानुसार इसे अपास्त किया जाता हैं।इस प्रकार लगाए गए जुर्माने को संशोधित किया जाता है तथा यह निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता पर गैर–संचयी प्रभाव के साथ एक वृद्धि को रोकने का जुर्माना लगाया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. तदनुसार, रिट याचिका को आंशिक रूप से स्वीकृति दी जाती है।चूंकि याचिकाकर्ता पहले ही अपनी सेवाओं से सेवानिवृत्त हो चुके है, इसलिए वह उपरोक्त दंड के आदेश में संशोधन को देखते हुए समस्त परिणामी लाभ, यदि कोई हो, हेतु हकदार होगा।इस पर कोई वाद व्यय देय का आदेश नहीं दिया जाता है ।

सही/–
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur